

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोद

तवान हेमाराभ

बनाम सखनरुंडर

क्रमा नं. ५५/२०२३

19/12/25

पत्रावली पेशा हुई। वकील प्राची व प्राची स्वयं अनु. वकील प्राची व प्राची स्वयं को वाड-वाड आनाग लंगवाई गई। इतर के बावमूद न्यायालय समय में सामंठाल तक वकील प्राची व प्राची स्वयं में स गई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली अदम पैदली। अदम टामिडी में खारिज किये जाने के आखेबा दिव्य जारे हैं। पत्रावली फेंकल शुमाड टाकड नर तकमील दाखिल कस्त हों।



↓
 उपखण्ड अधिकारी
 धोव जिला-सीकर

